

अंतिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर मावली जिला उदयपुर

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत / कैंप कोर्ट)

पीठासीन अधिकारी: श्री जितेन्द्र ओझा, RAS

मुकदमा नम्बर : 101/13 (वाद)

मप - ढुंढियां

1. श्री बगदीराम पिता खुमा कीर निवासी कीर का खेडा, तह. मावली।

.....वादी

बनाम

1. श्री रतन पिता अमरा कीर निवासी कीर का खेडा, तह. मावली।
2. राजस्थान राज्य जरिये श्रीमान् तहसीलदार मावली जिला उदयपुर।
3. उप पंजीयक अधिकारी, उप पंजीयन कार्यालय सनवाड तह. मावली।
4. पटवारी, पटवार हल्का ढुंढियां तह. मावली।

.....प्रतिवादीगण



वादी अधिवक्ता द्वारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अधिवक्ता वादी व अधिवक्ता प्रतिवादी की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 07.05.2018 को जितेन्द्र ओझा, R.A.S. उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि मौजा ढुंढिया पटवार हल्का ढुंढिया की जेम्न आराजियात का बटवाडा निम्नानुसार अंतिम किया जाता है :-

क्र.स.	नाम खातेदार	आ.न.	रकबा	किस्म	लगान
	बगदीराम पिता खुमा कीर सा. कीर खेडा म. देह खातेदार रहन सी.बी.आई. शाखा हिन्ता	1540/1	0.02	जा.उ. 0.02	0.35
		1540/2	0.03	चा.उ. 0.03	1.05
		1541 मी.	2.12	चा.उ. 1.02	7.70
				जा.उ. 1.10	5.25
		1544	3.02	चा.उ. 1.02	7.70
				जा.उ. 2.00	7.00
		1550 मी.	3.07	बा.प्र.	3.01
		1554/1	2.00	चा.तृ. 0.01	0.13
				जा.तृ. 1.19	2.54
		1554/4	4.10	जा.तृ.	5.85
		1551/2	4.05	बा.प्र. 1.07	1.21
				बीड 2.18	1.45
		1551/1	1.10	बीड	0.75
	योग	किता 9	21.11	-	43.99
2	रतन पिता अमरा कीर सा. कीर खेडा म. देह खातेदार	1540 मी.	3.07	चा.उ. 0.11	3.85
				जा.उ. 2.16	9.80
		1541/1	0.05	चा.उ.	1.75
		1543	2.07	बीड 0.07	0.17
				जा.उ. 1.04	4.20
				चा.उ. 0.16	5.60
	1550/1	3.08	बा.प्र.	3.06	
	1554/2	2.00	बीड 0.06	0.15	
			जा.तृ. 1.14	2.21	

सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

E:\Voc adalat\ nirnay 1 page\new dicree.docx

		1554 मी.	4.04	जा.तृ.	5.46
		1551/3	0.07	बीड	0.18
		1551 मी.	7.03	बा.प्र. 2.06	2.08
				बीड 4.17	2.42
	योग	किता 8	23.01	—	40.93
3	बगदीराम पिता खुमा रतन पिता अमरा कीर सा. कीर खेडा म. देह खातेदार रहन सी.बी.आई. बैंक हिन्ता हि. बगदीराम	1554/3	0.07	बीड	0.18
		1555	0.07	आ.चा.	—
	योग	किता 2	0.14	—	0.18

नोट—उक्त अंतिम डिक्री का नक्शा ट्रेस अभिन्न अंग रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। यह आज तारीख 17.05.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(जितेन्द्र ओझा)
पीठासीन अधिकारी
सहायक कलेक्टर एवं
(SDO) मावली
पदेन सहायक कलेक्टर मावली